सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
	श्रावण 30, शुक्रवार, शाके 1942–अगस्त 21, 2020 *Sravana 30 , Friday, Saka 1942–August 21, 2020*	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 21, 2020

संख्या एफ. 13(25)विशा/विस/2020 :-**राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2020** जैसा कि दिनांक 21 अगस्त, 2020 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया,सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

2020 का विधेयक **सं.25**

राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 4 जुलाई, 2020 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 48 का संशोधन.- राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम सं. 14), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 48 में,-

(i) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चालीस वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) जिला पुलिस अधीक्षक सूचीबद्धता की प्रक्रिया में निम्नलिखित अधिमानता क्रम को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:-

(क) केन्द्रीय या राज्य अर्धसैनिक बल का भूतपूर्व सैनिक/सेवानिवृत्त अर्धसैनिक कार्मिक;

(ख) गृह रक्षा स्वयंसेवक;

(ग) कक्षा आठ उत्तीर्ण होने की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखने वाला गांव का कोई अन्य स्थानीय निवासी।"।

3. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "हटाया जा सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा हटाया जायेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 50 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 50 में,-

(i) खण्ड (ज) के अंत में आये विद्यमान शब्द "और" को हटाया जायेगा; और

(ii) खण्ड (झ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ञ) गश्त लगाने में पुलिस की सहायता करना; और

(ट) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जो जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समनुदेशित किये जायें।"।

5. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 की विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

6. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 8) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

———

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 48 ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम रक्षकों की सूचीबद्धता का उपबंध करती है। यह धारा सूचीबद्धता के लिए व्यक्ति की आयु सीमा और सूचीबद्धता की प्रक्रिया में अधिमानता के क्रम को अधिकथित करती है। यह महसूस किया गया है कि राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को इस अधिनियम के अधीन ग्राम रक्षकों का अतिरिक्त उत्तरदायित्व देना अनुचित है। ग्राम रक्षकों द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए, इस अधिनियम में यथा उपबंधित सूचीबद्धता के लिए अधिमानता के क्रम को और न्यूनतम आयु को तीस वर्ष से बढ़ाकर चालीस वर्ष करके संशोधित किया जाना भी प्रस्तावित है। तदनुसार, धारा 48 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 49 ग्राम रक्षकों की पदावधि और उनको हटाये जाने का उपबंध करती है। ऐसा महसूस किया गया है कि ग्राम रक्षकों की पदावधि को तीन वर्ष से घटा कर दो वर्ष किया जाना चाहिए और उन्हें संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा हटाया जाना चाहिए। तदनुसार, धारा 49 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 50 ग्राम रक्षकों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व अधिकथित करती है। गश्त लगाने में पुलिस की सहायता करने का कर्तव्य विद्यमान कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, धारा 50 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 53 यह उपबंध करती है कि ग्राम रक्षक एक अवैतनिक कार्यकर्ता होगा। चूंकि अवैतनिक कार्यकर्ता को कोई मानदेय संदत्त किया जाना आवश्यक नहीं होता है, इसलिए धारा 53 की उप-धारा (2) हटायी जानी प्रस्तावित है।

चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 4 जुलाई, 2020 को राजस्थान पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 8) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 6 जुलाई, 2020 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No.25 of 2020

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN POLICE (AMENDMENT) BILL, 2020
(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Police Act, 2007.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Police (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 4th July, 2020.

2. Amendment of section 48, Rajasthan Act No. 14 of 2007.- In section 48 of the Rajasthan Police Act, 2007 (Act No. 14 of 2007), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in sub-section (2), for the existing expression "30 years", the expression "40 years" shall be substituted; and

(ii) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) The District Superintendent of Police shall observe the following order of preference in the process of enlistment, namely:-

(a) Ex-Serviceman/retired paramilitary personnel from Central or State paramilitary force;

(b) Home guard volunteer;

(c) any other local resident of the village possessing minimum educational qualification of having passed Class Eight.".

3. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 14 of 2007.- In section 49 of the principal Act,-

(i) for the existing expression “three years”, the expression “two years” shall be substituted; and

(ii) in proviso, for the existing expression "village guard shall be removed", the expression "village guard shall be summarily removed" shall be substituted.

4. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 14 of 2007.- In section 50 of the principal Act,-

(i) in clause (h), the existing word "and" appearing at the end shall be deleted; and

(ii) in clause (i), for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end, the punctuation mark “;” shall be substituted and after clause (i) so amended, the following shall be added, namely:-

“(j) assisting police in patrolling; and

(k) discharging such other duties as may be assigned by the District Superintendent of Police.".

5. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 14 of 2007.- The existing sub-section (2) of section 53 of the principal Act shall be deleted.

6. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Police (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 8 of 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 48 of the Rajasthan Police Act, 2007 provides for enlistment of village guards in rural areas. It lays down the age limit of person for enlistment and the order of preference in the process of enlistment. It has been felt that it is inappropriate to give additional responsibility of village guards under this Act to the employees of the State Government and Local Bodies. It has also been proposed to amend order of preference and minimum age from 30 years to 40 years for enlistment as provided in the Act, looking to nature of services provided by the village guards. Accordingly, section 48 is proposed to be amended.

Section 49 of the Act provides for tenure and removal of village guards. It has been felt that tenure of the village guards should be reduced from 3 years to 2 years and they should be removed summarily. Accordingly, section 49 is proposed to be amended.

Section 50 of the Act lays down the duties and responsibilities of village guards. The duty of assisting the police in patrolling has been proposed to be added to the existing duties and responsibilities. Accordingly, section 50 is proposed to be amended.

Section 53 of the Act provides that village guard shall be an honorary worker. Since an honorary worker is not necessarily to be paid any honorarium, therefore, sub-section (2) of section 53 is proposed to be deleted.

Since the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Police (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 8 of 2020) on 4th July, 2020, which was published in Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV(B), dated 6th July, 2020.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Police Act, 2007.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.